II

अनुमोदन हेतु प्रारूप
बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या–3/कृ0 बजट–आवंटन–31/2014– 153 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 28/10/2014

प्रेषक,

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

विषय : **फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014–15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रूपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय , सबौर को 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) कुल 33.80 लाख रूपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के लिए सहायक अनुदान मद में 14.00 लाख रूपये (चौदह लाख रूपये) में से अनुसूचित जनजाति के लिए 0.48 लाख रूपये (अड़तालिस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप 48,000 (अड़तालिस हजार रूपये) की राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–4794 दिनांक–17.10.2014 द्वारा फसल प्रभेद के परीक्षण (Coordinated Varietal Trial) हेतु वर्ष 2014–15 में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा को 14.00 (चौदह) लाख रूपये तथा बिहार कृषि विश्वविद्यालय , सबौर को 19.80 लाख रूपये (उन्नीस लाख अस्सी हजार रूपये) कुल 33.80 लाख रूपये (तैतीस लाख अस्सी हजार रूपये) सहायक अनुदान की स्वीकृति तथा इसके अधीन राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के लिए सहायक अनुदान मद में 14.00 लाख रूपये (चौदह लाख रूपये) में से अनुसूचित जनजाति के लिए 0.48 लाख रूपये (अड़तालिस हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। स्वीकृत राशि के अंतर्गत व्यय हेतु ₹48,000 (अड़तालिस हजार रूपये) की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹48,000 (अड़तालिस हजार रूपये) की राशि का व्यय बजट शीर्ष–2415–कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा– उप मुख्यशीर्ष–01 –फसल कृषि कर्म लघुशीर्ष –796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1– उप शीर्ष–0108– राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान विपत्र कोड–P2415017960108, में वर्ष 2014–15 में विषयशीर्ष –3106–सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा मद में कुल उपबंधित 1,32,000 रूपये (एक लाख बत्तीस हजार) में से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561वि0(2) दिनांक–17.04.98 आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन
28/X/14
(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 153 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 28/10/2014

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/X/14
सरकार के संयुक्त सचिव।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc

ज्ञापांक 153 आवंटन /कृ0, पटना, दिनांक 28/10/ , 2014

प्रतिलिपि : कृषि निदेशक/निदेशक उद्यान/निदेशक, पी०पी०एम (कृषि विभाग)/ निदेशक, भूमि संरक्षण/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कुलपति राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/नियंत्रक, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर/वित्त विभाग, (बजट–शाखा) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, (प्रशाखा–04, समन्वय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

28/X/14

सरकार के संयुक्त सचिव।

(मनीष कुमार)
सहायक
बजट शाखा
कृषि विभाग, बिहार
पटना।

(नागेन्द्र सहनी)
सहायक सांख्यिकीज्ञ
–सह–
प्रभारी पदाधिकारी, बजट
कृषि विभाग, बिहार पटना।

कृषि निदेशक
बिहार, पटना।

D:\year -2014\21.04.2014 R.doc